



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सेंधवा (सा) वनमण्डल, सेंधवा जिला - बड़वानी (म.प्र.)

Tel & Fax (o) 07281-228408 (Pin code- 451666)

Email - dfotsndwa@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2022/86

सेंधवा, दिनांक 10/01/2022

प्रति,

✓ कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ./प.)
संभाग बड़वानी

Ar(B)

11/01/22

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
श्री.नि.वि. भ/प बड़वानी
आवक क्रमांक 28
दिनांक 11-01-2022

विषय :-

बड़वानी जिले के सेंधवा वनमंडल अंतर्गत NDB-II योजनान्तर्गत सेंधवा-वरला मुख्य जिला मार्ग (एम.पी.एम.डी.आर.-48-22) मार्ग उन्नयन हेतु 5.518 हेक्टर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, बड़वानी को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक F.No.6-MPC070/2021-BHO Date 04.01.2022.

—000—

संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित योजना में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण की सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। उक्त स्वीकृति के भाग-ए में अधिरोपित शर्त क्रमांक-ए(1) के पालन में 1.00 हेक्टर के प्रकरण में गैर वनभूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु आवश्यक राशि रु. 27,91,554/- एवं वनक्षेत्र में 5.00 हेक्टर की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु आवश्यक राशि रु. 40,33,342/- इस प्रकार कुल रु. 68,24,896/- भारत सरकार के वेब पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में ऑनलाईन जमा करावें।

अधिरोपित शर्त क्रमांक-ए(2) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि 6.00 हेक्टर को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/नानान्तरण कर फार्म पी.-2, कब्जा रसीद आदि की प्रति उपलब्ध करावें।

अधिरोपित शर्त क्रमांक-ए(4) के पालन में योजना से प्रभावित 5.518 हेक्टर वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.व्ही.) हेतु रु. 9,57,780/- प्रति हेक्टर की दर से आवश्यक राशि रु. 52,85,030/- भारत सरकार के वेब पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में ऑनलाईन जमा करावें।

अधिरोपित शर्त क्रमांक-ए(6) के पालन में वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर बड़वानी का प्रमाण-पत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

अधिरोपित शर्त क्रमांक-ए(9) के पालन में प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड करावे।

अधिरोपित शर्त क्रमांक-बी(3) के पालन में अतिरिक्त एन.पी.व्ही की राशि का वचन-पत्र प्रस्तुत करें।

त्वरित संदेश हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.10.2022 की छायाप्रति इस पत्र के संलग्न प्रेषित की जाकर लेख है कि उक्त स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि योजना में अंतिम चरण की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न:- यथोपरी।

वनमंडलाधिकारी

वनमंडल सेंधवा (सामान्य)

पृ.क./मा.चि./2022/

सेंधवा, दिनांक /...../01/2022

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त, खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सही -

वनमंडलाधिकारी

वनमंडल सेंधवा (सामान्य)